

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 939 सन 2021

अनवान :-

1. ईशर पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. फुलचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
3. भागुराम उर्फ भागाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
4. ताराचन्द पुत्र निराणाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. सन्तलाल पुत्र निराणाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. चन्द्रकला उर्फ चन्दो पत्नी गोरुराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम

1. मेवा पत्नी नारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. कृष्णा पुत्री नारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
3. सुमित्रा उर्फ समा पुत्री नारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. मन्जु पुत्री गोरु पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. सन्तोष पुत्री पूर्णराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. आशी पुत्री पूर्णराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. सुन्दर पुत्री पूर्णराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. लालचन्द पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
9. लीलूराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
10. रामी पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
11. गुडी पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
12. विदया पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
13. विमला पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
14. हिरा पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
15. सावित्री पत्नी श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
16. मांगीलाल पुत्र सावित्री पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
17. गायत्री देवी पुत्री सावित्री पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
18. भंवरीदेवी पुत्र श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
19. बसकरो पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
20. हरकोरी पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
21. सुमन पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
22. कमला देवी पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
23. लालचन्द पुत्र चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
24. काशीराम पुत्र चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
25. रामेती पुत्री चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
26. ज्यानीदेवी पुत्री चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
27. जीवणराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
28. प्रमेश्वरी पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 06.10.2021



उपखण्ड अधिकारी

नोहर

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 131/125 की कुल 8.1570 हैक्, रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 285/241 की कुल 11.8490 हैक्, मृतक श्योलाल एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 209/176 की कुल 2.52 हैक् भूमि सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , वादी संख्या 4 ता 6 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज श्योलाल वल्द देवाराम के नाम से दर्ज है श्योलाल वल्द देवाराम वादीगण के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है श्योलाल वल्द देवाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 है जो श्योलाल वल्द देवाराम के नाम नाम दर्ज भूमि को अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ता 28 श्योलाल के वारिसान एवं वादीगण के भाई/बहन/बहने के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2, 8 ता 28 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक श्योलाल के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज श्योलाल पुत्र देवाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 , 8 ता 28 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के पक्ष में किया हुआ है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही है।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 131/125 की कुल 8.1570 हैक्, रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 285/241 की कुल 11.8490 हैक्, मृतक श्योलाल एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 209/176 की कुल 2.52 हैक् भूमि सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , वादी संख्या 4 ता 6 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज श्योलाल वल्द देवाराम के नाम से दर्ज है श्योलाल वल्द देवाराम वादीगण के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है श्योलाल वल्द देवाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 है जो श्योलाल वल्द देवाराम के नाम नाम दर्ज भूमि को अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ता 28 श्योलाल के वारिसान एवं वादीगण के भाई/बहन/बहने के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2, 8 ता 28 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई

भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 131/125 की कुल 8.1570 है, रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 285/241 की कुल 11.8490 है, मृतक श्योलाल एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 209/176 की कुल 2.52 है भूमि संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , वादी संख्या 4 ता 6 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि पूर्व /वर्तमान में वादीगण के पूर्वज श्योलाल पुत्र देवाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ता 28 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 8 ता 28 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ता 28 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 131/125 के खसरा नं. 167 का कुल क्षेत्रफल 8.1570 है भूमि में मृतक श्योलाल पुत्र देवा का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 6 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070/2073 के खाता संख्या 285/241 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 11.8490 है भूमि में मृतक श्योलाल पुत्र देवाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 6 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 209/176 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5290 है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 2 जिसका जमाबन्दी में नाम कृष्ण पुत्र नारायण गलत दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के 1/5 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 2 ता 3 व 6 के पहले से दर्ज भूमि सहित प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 4 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....श्योरानी.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाक्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. ईशर पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. फुलचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
3. भागुराम उर्फ भागाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
4. ताराचन्द पुत्र निराणाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. सन्तलाल पुत्र निराणाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. चन्द्रकला उर्फ चन्दो पत्नी गोरुराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम

1. मेवा पत्नी नारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. कृष्णा पुत्र नारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
3. सुमित्रा उर्फ समा पुत्री नारायण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. मन्जु पुत्री गोरू पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. सन्तोष पुत्री पूर्णराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. आशी पुत्री पूर्णराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. सुन्दर पुत्री पूर्णराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. लालचन्द पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
9. लीलूराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
10. रामी पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
11. गुडी पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
12. विदया पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
13. विमला पुत्री लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
14. हिरा पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
15. सावित्री पत्नी श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
16. मांगीलाल पुत्र सावित्री पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
17. गायत्री देवी पुत्री सावित्री पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
18. भंवरीदेवी पुत्र श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
19. बसकरो पुत्र श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
20. हरकोरी पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
21. सुमन पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
22. कमला देवी पुत्री श्रीराम पुत्र लिछमण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
23. लालचन्द पुत्र चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
24. काशीराम पुत्र चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
25. रामेती पुत्री चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
26. ज्यानीदेवी पुत्री चन्दोदेवी पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
27. जीवणराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
28. प्रमेश्वरी पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्या 939 सन 2021 निर्णय दिनांक- 06.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 131/125 के खसरा नं. 167 का कुल क्षेत्रफल 8.1570 है0 भूमि में मृतक श्योलाल पुत्र देवा का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 6 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070/2073 के खाता संख्या 285/241 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 11.8490 है0 भूमि में मृतक श्योलाल पुत्र देवाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 6 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 209/176 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5290 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 2 जिसका जमाबंदी में नाम कृष्ण पुत्र नारायण गलत दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के 1/5 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 2 ता 3 व 6 के पहले से दर्ज भूमि सहित प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 4 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (सहस्रभूमिगढ़ी)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट, श्योरानी